भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या **99B/2016-17**

हरेन्द्र नाथ महतो बनाम **नलिन कान्त महतो**

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15.9.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी गम्हरिया के पत्रांक 955 दिनांक 04.5.2017 एवं पुनः 1684 दिनांक 26.7.2017 द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 99 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता हरेन्द्र नाथ महतो पिता-स्व० भूपति महतो, ग्राम-छोटा गम्हरिया, थाना-गम्हरिया जिला- सरायकेला-खरसावाँ ने चिकित्सा हेतु केता श्री नलिन कान्त महतो, पिता - स्व० भरत चन्द्र महतो, ग्राम- बामनी, थाना-नीमडीह जिला- सरायकेला-खरसावाँ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटगम्हरिया	67	141	803/अंशिक	0.05.02ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता स्वयं पंजी II के रैयत हैं एवं मौजा छोटागम्हरिया थाना न0 67 खाता न0 141,139,140 का कुल रकवा 4.76.19 ए0 भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की अंशिक जमीन की बिक्री हेतु अवेदन किये हैं, जिसमे से 0.05.02ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.42.045ए0 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं केता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी ' अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05.02ए0 भूमि बिकी करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/09/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,